


22. वैज्ञानिक संसाधन प्रबंधन

कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल ने एक स्वतंत्र चयन एजेंसी के रूप में मूल्यांकन एवं चयन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं दक्ष बनाने हेतु कई प्रकार के सुधार किए। वर्ष 2012-13 के दौरान मंडल द्वारा क्रियान्वित प्रमुख कार्यकलापों की ज्ञलकियां निम्न हैं:

सीधे भर्ती

वर्ष के दौरान 76 रिक्त पदों में से मात्र 85.5 प्रतिशत पदों को ही उपयुक्त प्रत्याशियों के अभाव के कारण भरा जा सका। इनमें से 17 प्रतिशत पद अनुसंधान प्रबंधन स्तर के, 15 प्रतिशत मध्यम स्तर के कैडर (प्रायोजना समन्वयक, संयुक्त निदेशक एवं विभागाध्यक्ष) तथा 68 प्रतिशत पद प्रधान वैज्ञानिक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक स्तर के थे।




76 सीधे चयन वाले पदों का विवरण एनएफएस, कोई भी उपयुक्त प्रत्याशी नहीं मिला

एआरएस/नेट परीक्षा

कृषि अनुसंधान सेवा (एआरएस)/राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) की प्राथमिक परीक्षा 2011 का आयोजन देश भर के 33 केन्द्रों पर बोर्ड द्वारा 19 फरवरी, 2012 को किया गया और इसमें 8 प्रमुख वर्गों के 23 विषयों को शामिल किया गया। इनका विवरण इस प्रकार है: कृषि विज्ञान (4), पशुचिकित्सा विज्ञान (4), मत्स्य विज्ञान (2), प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (3), समाज विज्ञान (4), कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी (4), डेरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (2) तथा मूलभूत अभियांत्रिकी एवं टैक्सटाइल विज्ञान (2)। परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 28,445 प्रत्याशियों ने आवेदन किया और 20,935 प्रत्याशियों (73.6 प्रतिशत) ने परीक्षा में हिस्सा लिया। इनमें से 2,344 प्रत्याशियों ने नेट परीक्षा में सफलता हासिल की। इस प्रकार सफलता का अनुपात 1:9 रहा।

एआरएस की मुख्य परीक्षा का आयोजन 303 वैज्ञानिकों की भर्ती के उद्देश्य से 49 विषयों में किया गया। एआरएस परीक्षा के लिए कुल 14,143 प्रत्याशियों ने आवेदन किया और 7,328 (51.8 प्रतिशत) प्रत्याशियों ने परीक्षा में भाग लिया। निर्धारित कट ऑफ स्तर से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 549 प्रत्याशियों को 303 विज्ञापित रिक्तियों को भरने हेतु एआरएस साक्षात्कार हेतु बुलाया गया। लेकिन मात्र 176




विभिन्न वर्गों के चयनित ए.आर.एस. 2011 के उम्मीदवारों का त्रिणीवार विवरण, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनु. जाति (एस.सी.), अनु. ज. जाति. (एस.टी.) और विकलांग (पी.सी.)

रिक्तियों को ही भरा जा सका। इस प्रकार सफलता अनुपात दर 1:42 रहा। कृषि रसायन/आर्गेनिक कैमिस्ट्री, मृदा विज्ञान-पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान-मृदा भौतिकी-मृदा जल संरक्षण, टैक्सटाइल मैन्यूफैक्चर एण्ड इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषयों में कोई भी उपयुक्त प्रत्याशी नहीं मिल सका। एआरएस नतीजों के विश्लेषण से कई दिलचस्प रुझान सामने आए।

मंडल द्वारा सामान्यतः प्रति रिक्ति को भरने के लिए साक्षात्कार हेतु पांच प्रत्याशियों को आमंत्रित किया जाता है। वर्ष 2012-13 में कृषि जैवप्रौद्योगिकी, वेटेरिनरी पैथेलॉजी, वेटेरिनरी पैरासायटोलॉजी एवं कृषि रसायन विषयों में पर्याप्त संख्या में प्रत्याशी नहीं मिले। रिक्त पदों और लिखित परीक्षा में सफल होने वाले प्रत्याशियों की संख्या लगभग बराबर रही।

- इस वर्ष कृषि विज्ञान में महिला प्रत्याशियों का बढ़ा दुआ रुझान देखने को मिला। चयनित 176 प्रत्याशियों में 22.7 प्रतिशत महिला प्रत्याशी थीं।
- सामान्य वर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सामान्य वर्ग की 9 सीटें हासिल की। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रत्याशियों ने भी इस वर्ष अच्छा प्रदर्शन करते हुए सामान्य वर्ग की क्रमशः 3 और 1 सीट हासिल कीं।
- प्रदेश वार विवरण के आधार पर पता चलता है 77 प्रतिशत एआरएस वैज्ञानिक मात्र 10 राज्यों से हैं। इन राज्यों के नाम हैं, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एवं ओडिशा।
- आंकड़ों से यह भी इंगित होता है कि 176 पदों में से 83 प्रतिशत के लिए चयनित प्रत्याशी 10 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/समतुल्य विश्वविद्यालयों तथा 7 प्रतिशत अन्य राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से हैं और 10 प्रतिशत सामान्य विश्वविद्यालयों की पृष्ठभूमि से हैं। सफल प्रत्याशियों में एआरएस परीक्षा में पहली बार सम्मिलित होने वाले 51 प्रतिशत प्रत्याशी रहे।



एआरएस 2011-12 का संगठनों के अनुसार प्रदर्शन

संशोधित कैरिअर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत वैज्ञानिकों का मूल्यांकन/प्रोन्ति

छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित कैरिअर एडवांसमेंट स्कीम को लागू करने की स्वीकृति केन्द्रीय कृषि मंत्री एवं अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान सोसायटी द्वारा प्रदान की गई है। वर्ष के दौरान मंडल को 57 विषयों में वैज्ञानिकों की प्रोन्ति हेतु 700 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें रिसर्च ग्रेड पे ₹ 9,000 से बढ़ाकर ₹ 10,000 करने की मांग की गई थी। इन प्रस्तावों के मूल्यांकन का कार्य पूरा किया जा चुका है और परिणामों को परिषद के पास प्रेषित किया जा चुका है। मूल्यांकन मामलों का प्रत्याशियों की संख्या के अनुसार विवरण फसल विज्ञान, बागवानी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पशुचिकित्सा विज्ञान, मात्स्यकी, कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी और समाज विज्ञान में क्रमशः 251, 29, 128, 165, 57, 43 और 75 रहा।

सुधार

सीधी भर्ती के लिए योग्यता शर्तों और स्कोर कार्ड में संशोधन

- सभी वैज्ञानिक पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु मॉडल शैक्षिक योग्यता में डॉ. आर.एस. परोदा कमिटी की सिफारिशों के अनुसार संशोधन कर अधिसूचना जारी की गई।
- सीधी भर्ती हेतु स्कोर कार्ड में भी संशोधन कर अधिसूचना जारी की गई।
- सीधी भर्तियों के लिए आवेदन प्रपत्र में तर्कसंगत परिवर्तन किए गए।
- सीधी भर्ती के माध्यम से भा.कृ.अनु.प. के संस्थानों के अलावा अन्य जगहों से श्रेष्ठ प्रतिभाओं की नियुक्तियों का प्रयास भी इसी क्रम में किया जा रहा है।

एआरएस हेतु योग्यता शर्तों में संशोधन और एआरएस एवं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु नई योजनाएं

- एआरएस और नेट को दो अलग स्वतंत्र परीक्षा के तौर पर मान्यता दी गई है और नेट का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाएगा।
- एआरएस और नेट के विषयों एवं सिलेबस को पूर्णतः संशोधित एवं अद्यतन बनाया गया।

नई पहल

नेट/एआरएस-प्राथमिक परीक्षा, कृ.वै.च.मं., भा.कृ.अनु.प. के विकास, शुरुआत और संचालित करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली का प्रबंधन

दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 को एएसआरबी और बाह्य एजेन्सियों के बीच काट्रैक्ट एप्रीमेंट को अंतिम रूप दिया गया जिसके अंतर्गत नेट/एआरएस-प्राथमिक परीक्षा के एएसआरबी (मुख्यालय) (एनओईसी) के 23 नोडल सेंटरों में ऑनलाइन परीक्षा के विकास, शुरुआत और संचालन हेतु आवश्यक उपकरणों/सेवाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। यह प्रायोजना क्रियान्वयन के स्तर पर है।

भा.कृ.अनु.प. (मुख्यालय) और इसके अनुसंधान संस्थानों की रिक्तियों को भरने हेतु सहायक ग्रेड परीक्षा (सीधी नियुक्ति)

वर्ष 2011 में आयोजित मुख्य परीक्षा के नतीजों के आधार पर 500 प्रत्याशियों को दस्तावेज जांच एवं पोस्टिंग स्थान के विकल्पों को चुनने हेतु आमंत्रित किया गया। दस्तावेजों की जांच एवं पोस्टिंग स्थान के विकल्पों के एकत्रण की प्रक्रिया 10 दिनों तक जारी रही। इस प्रक्रिया में 450 प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया। चयनित एवं रिजर्व प्रत्याशियों की सूची तैयार कर भा.कृ.अनु.प. के पास भेजी गई ताकि सहायकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके।

भा.कृ.अनु.प. प्रणाली में ऑनलाइन परीक्षा की प्रक्रिया, दस्तावेज जांच और सफल प्रत्याशियों की मेरिट आधार पर पोस्टिंग के स्थानों के विकल्पों के एकत्रण की प्रक्रिया अत्यंत विशिष्ट रही। पूरी प्रक्रिया पारदर्शितापूर्ण, प्रभावी एवं दक्ष तरीके से अत्यंत सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई।

- सहायक ग्रेड परीक्षा के नतीजों के विश्लेषण से प्रदर्शित होता है कि कुल 368 पदों में से 37.2 प्रतिशत पदों पर दिल्ली के प्रत्याशियों का चयन किया गया। जबकि 51.6 प्रतिशत प्रत्याशियों का चयन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से किया गया। शेष 11.2 प्रतिशत का चयन देश के अन्य राज्यों से किया गया।
- इस वर्ष चयनित 368 प्रत्याशियों में से 24.5 प्रतिशत महिला प्रत्याशी थीं।

इस विश्लेषण के अनुसार सभी विज्ञापित रिक्त पदों पर नियुक्तियां विभिन्न वर्गों के अनुसार इस प्रकार रहीं: सामान्य वर्ग (239), अन्य पिछड़ा वर्ग (65), अनुसूचित जाति (35), अनुसूचित जनजाति (20) और विकलांग (9)।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मंडल वर्ष 2012-13 में इस आशय के 157 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें मुख्य रूप से एक्सपर्ट का नाम, स्क्रीनिंग एवं साक्षात्कार की अंकतालिका, सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्रों की जांच की प्रक्रिया, एआरएस/नेट परीक्षा में प्राप्त अंक, मंडल के प्रोएक्टिव आदेशों/निर्णयों तथा आरटीआई एक्ट के खण्ड 4 के क्रियान्वयन इत्यादि पर आधारित जानकारियां मांगी गई थीं। कुल 157 मामलों में से सिर्फ 10 प्रत्याशियों ने सीआईसी के सम्मुख एएसआरबी के निर्णयों के खिलाफ अपील दर्ज करवाई। सभी मामलों का निबटान सम्बंधित पक्षों की संतुष्टि के साथ सफलतापूर्वक किया गया।

